न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/12/18	12–03–2018	27–03–2018

1–अमीलाल पुत्र जयनारायण जाति अहीर निवासी ग्राम हाजनाका तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0

–प्रार्थी–

बनाम

1–श्रीमती राज स्त्री श्री महेन्द्रलाल निवासी मकान नम्बर 928 सैक्टर 8 पंचकुला हरियाणा हाल आबाद ग्राम हाजनाका तहसील कोटकासिम जिला अलवर
2–हीरालाल पुत्र श्री हरफुल सिंह
3–भीमसिंह पुत्र श्री हरफुल सिंह
4–भूपेन्द्र सिंह पुत्र हरफुल सिंह
5–घनश्याम पुत्र हरफुल सिंह जाति चमारान हाल आबाद शिवनगर के0एल0पी0 कॉलोनी के सामने दिल्ली रोड रेवाडी (हरियाणा)
6–राजेन्द्र पुत्र नेतराम
7–लालचन्द पुत्र नेतराम
8–रतनलाल पुत्र नेतराम जाति चामरान निवासी जडथल तहसील रेवाडी जिला (हरियाण)
9–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटकासिम लेण्ड होल्डर जिला अलवर

–अप्रार्थीगण–

10–महेन्द्र पुत्र श्री जयनारायण

11–जयदयाल पुत्र श्री जयनारायण जाति अहीरान निवासी हाजनाका तहसील कोटकासिम जिला अलवर

–तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री जनार्दन शर्मा –वकील प्रार्थी

02. श्री शीतल प्रसाद --वकील अप्रार्थी

---:: निर्णय ::---

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण बाबत दुरूस्ती इन्द्राज व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती बअनुवान श्रीमती राज बनाम सरकार वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में श्रीमती राज बनाम सरकार वगै0 बाबत दुरूस्ती इन्द्राज व नक्शा ट्रेस प्रकरण विचाराधीन है। प्रार्थी की उम्र 80 साल से अधिक है तथा प्रार्थी को चलने–फिरने मे असुविधा होती है। प्रार्थी का गांव हांजनाका तहसील कोटकासिम का है। मुण्डावर

काफी दूर है। उक्त वाद उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के यहां विचाराधिन है। प्रार्थी की अधिक उम्र होने के कारण मुण्डावर न्यायालय पहुंचने में काफी कठीनाई होती है अतः प्रकरण उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम को मुन्तकिल किया जावें। जैसे–तैसे प्रार्थी मुकदमें की पैरवी के लिए इतनी दूर जाता है किन्तु अधिकारी दोरे व मिटिंग में चले जाते है तथा प्रार्थी के पहुंचने से पहले अप्रार्थी तारीख लगवाकर चले जाते है जिससे बडी भारी मानसिक परेशानी होती है। पत्रावली में क्या कार्यवाही चल रही है तथा क्या कार्यवाही अपेक्षित है यह भी नही बतलाया जाता गत पेशी दिनांक 09.03.2016 को पीठासीन अधिकारी महोदय ने प्रार्थी को सबूत पेश करने के लिए कहा तब प्रार्थी ने निवेदन किया की न्यायालय द्वारा मुझे पूर्व में सबूत लाने के संबंध में जानकारी नही दी गई इसलिए मै आज कोई ग्वाह पेश नही कर सकता जिस पर पीठासीन अधिकारी महोदय ने मुझे धमकी दी तुम्हारी ग्वाही बंद करके मुकदमा बहस मे नियत कर देगें पीठासीन अधिकारी बिना साक्ष्य सबूत के प्रार्थी द्वारा पेश किये गये वाद को अंतिम निर्णय करने की जुस्तजू मे है। पीठासीन अधिकारी के उक्त व्यवहार से प्रार्थी को आंशका हो गई कि पीठासीन अधिकारी को अप्रार्थी/वादी निष्पक्ष न्याय करने में बाधा उतपन्न कर रहे है। इसलिए उक्त मुकदमे को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल करवाना चाहता है। अप्रार्थीगण जो पैसे वाले धनी व्यक्ति है तथा राजनैतिक प्रभाव भी रखते है प्रार्थीगण को कई मर्तबा धमकी दे चुके है। जिस कारण प्रार्थी को तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की उम्मीद नही है। इसलिए उक्त प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने वकालतनामा व जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर मे विचाराधीन वाद के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर करने का तथ्य प्रार्थनापत्र मे अंकित नही किया गया व गलत तरीके से प्रार्थनापत्र पेश किया गया है। अप्रार्थी नम्बर 7 लालचन्द पुत्र नेतराम दिनांक 07.01.2014 को फोत हो चुका है। दावा में वारिस भी रिकार्ड पर ले लिया गया है। फिर भी जानबूझ कर लालचन्द को पक्षकार बनाया गया है। आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नही किया है लिहाजा प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज फरमाया जावें।

हमनें पत्रावली व पीठासीन अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि प्रकरण पूर्व में उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में विचाराधीन रहा है। जो मुन्तकिल होकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में विचाराधीन है। उभयपक्ष की उपस्थिती में तारीख पेशी तय की जाती है। उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर ने निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर द्वारा 25.01.2016 को सुनवाई करते हुए प्रकरण का 10 माह में अंतिम निपटाना करने के निर्देश दिये गये थे। प्रकरण का निस्तारण नही होने की स्थिती में श्रीमती राज द्वारा दिनांक 12.02.2018 को अवमानना याचिका प्रस्तुत की गई उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर ने यह भी निवेदन किया कि प्रार्थी अपना वाद दीगर न्यायालय में मुन्तकिल कराना चाहाता है। यदि यह प्रकरण दीगर न्यायालय को स्थानान्तरित किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में अवमानना याचिक दायर होने का तथ्य अंकित नही किया गया। न्यायालय से सच्चाई छुपाये रखी तथा न्यायालय को गुमराह किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ केवल स्वयं का हलफनामा लगाया है अपने कथन के समर्थन में अन्य किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ पत्र पेंश नहीं किया है। आरोपों के संबंध में कोई प्रमाणित साक्ष्य पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र का लम्बी अवधि तक चलने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर को भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27–03–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.3.18

(बी.एल.रमण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)